

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02/परी0-09(को0प्र0)-04/2018-642

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वै0दा0नि0को0 (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-29-03-2019

विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में जिला पदाधिकारियों/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	प्रशिक्षण अवधि	जिला पदा0/समाहर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने की तिथि
1	श्री कैलाशपति मिश्रा, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, सहरसा	07.01.2019 से 08.02.2019 तक	11.02.2019
2	श्री आलोक कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, दरभंगा	01.02.2019 से 28.02.2019 तक	07.03.2019
3	Mr. Pritam Anand, Rural Development Officer, District-Munger	07.08.2014 से 05.09.2014 तक	12.09.2014
4	Mr. Neraj Kumar, Rural Development Officer, Munger	06.01.2014 से 03.02.2014 तक	15.02.2014

5	Mr. Prasant Kumar, Rural Development Officer, Munger	06.01.2014 से 03.02.2014 तक	15.02.2014
6	Mr. Prashant Kumar, Rural Development Officer, Munger	06.01.2014 से 03.02.2014 तक	15.02.2014

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९ (को०प्र०)-०४/२०१८-६५२ पटना, दिनांक:- २९-०३-२०१९
प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

२९/०३/१९
